भागलपुर समाहरणालय

(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

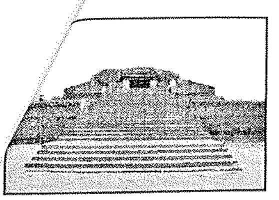

बिहार सरकार

संभावित बाढ़ 2019 के दौरान बाढ़ से प्रभावितों/विस्थापितों हेतु चलाये जाने वाले राहत शिबिरों में आवासित व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने हेतु खाद्य सामग्री एवं अन्य राहत सामग्री क्रय हेतु (वित्तीय वर्ष 2019–20) न्यूनतम दर निर्धारण से संबंधित अल्पकालीन पुनर्निविदा

संभावित बाढ़ 2019 के दौरान बाढ़ से प्रभावित/विस्थापितों हेतु चलाए जाने वाले राहत शिविरों में आवासित व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने हेतु खाद्य सामग्री एवं अन्य राहत सामग्री के क्रय हेतु द्वि पद्धति लिफाफा विधि से सामग्रियों का दर निर्धारण के लिए मुहरबंद निविदा दिनांक 13.07.2019 के अपराह्न 03.00 बजे तक आमंत्रित की गयी थी। जिसका प्रकाशन दिनांक 29.06.2019 के दैनिक समाचार पत्र "प्रभात खबर" एवं "दैनिक जागरण" पी0आर0 नं0 03557 (Disaster) 2019-20 में किया गया था। परन्तु निर्धारित तिथि तक किसी भी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया। फलस्वरूप पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता सीलबंद निविदा जिला आपदा प्रबंधन शाखा, भागलपुर में दिनांक 6/8/19 के अपराह्न 3:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथि को निविदा नहीं प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 10/8/19 को अपराह्न 3:00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथि को निविदा नहीं प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 14/8/19 को अपराह्न 3:00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामग्री की विवरणी एवं अन्य शर्त्तें जिले की बेवसाईट **https://bhagalpur.nic.in** एवं जिला आपदा प्रबंधन शाखा, भागलपुर समाहरणालय से प्राप्त की जा सकती है।

जिलाधिकारी
भागलपुर।
18/7/19

☎ 0641-2402200 (O)/2402300 (R)
Fax – 0641-2402400
E-mail ID: dm-bhagalpur.bih@nic.in

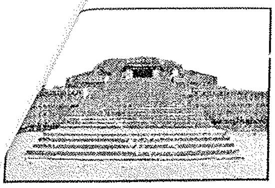

भागलपुर समाहरणालय
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

बिहार सरकार

अल्पकालीन निविदा

संभावित बाढ़ 2019 के दौरान बाढ़ से प्रभावितों/विस्थापितों हेतु चलाये जाने वाले राहत शिविरों में आवासित व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने हेतु खाद्य सामग्री एवं अन्य राहत सामग्री क्रय हेतु (वितीय वर्ष 2019–20) न्यूनतम दर निर्धारण से संबंधित अल्पकालीन पुनर्निविदा

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में संभावित बाढ़ 2019 के दौरान बाढ़ से प्रभावित/विस्थापितों हेतु चलाए जाने वाले राहत शिविरों में आवासित व्यक्तियों के लिए भोजन बनाने हेतु खाद्य सामग्री एवं अन्य राहत सामग्री के क्रय करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार जिले में राहत शिविर हेतु खाद्य सामग्री एवं अन्य राहत सामग्री क्रय हेतु न्यूनतम दर निर्धारण के लिए इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता से सीलबंद निविदा प्राप्त करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है, जो अलग–अलग लिफाफे में होगी।

निविदादाताओं को जिलाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से मो0 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपया जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता दिनांक 6/8/19 के अपराह्न 3:00 बजे तक जिला आपदा प्रबंधन शाखा, भागलपुर में निविदा दाखिल कर सकते हैं। प्राप्त निविदा उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथि को निविदा नहीं प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 10/8/19 को अपराह्न 3:00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। उक्त तिथि को निविदा नहीं प्राप्त होने पर पुनः दिनांक 14/8/19 को अपराह्न 3:00 बजे तक जमा कर सकते है। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, निविदा खोलते समय निविदादाता स्वयं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

क्र0	सामग्री का नाम	प्रकार/गुणवत्ता	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	चूड़ा	स्वर्णा	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		सीता	
		अन्य किस्म	
2	मुढ़ी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
3	गुड़	रवादार (गीला)	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		सूखा (चक्की)	
4	चना	देशी/एम0 पी0	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		अन्य किस्म	
5	चना सत्तु	देशी/एम0 पी0	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		अन्य किस्म	
6	आटा	लोकल (खुला)	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		अच्छे ब्राण्ड का 5kg/10kg	दर प्रति 5kg/10kg पैकेट में अंकित होगा।
7	चावल	स्वर्णा	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
		सीता	
		परमल	

☎ 0641-2402200 (O)/2402300 (R)
Fax – 0641-2402400
E-mail ID: dm-bhagalpur.bih@nic.in

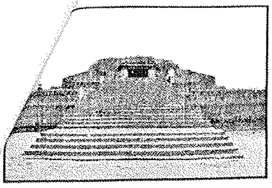

भागलपुर समाहरणालय
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

बिहार सरकार

8	दाल		अरहर,	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
			चना,	
			मूंग (देशी)	
			मसूर	
9	सरसों तेल		हाथी ब्राण्ड	दर 15 किलोग्राम प्रति टीन अंकित होगा।
			मंगल ब्राण्ड	
			ईंजन ब्राण्ड	
			धारा (5कि0ग्रा0)	
			अन्य ब्राण्ड	
10	मसाला	ब्राण्ड	जीरा (खड़ा)	दर 250gm.X4=1000gm अलग–अलग में अंकित करेंगे साथ ही ब्राण्ड का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होगा।
			जीरा (पाउडर)	
			हल्दी पाउडर	
			लाल मिर्च (खड़ा)	
			लाल मिर्च (पाउडर)	
			धनियाँ पाउडर	
			गोल मिर्च (खड़ा)	
			गोल मिर्च पाउडर	
		लोकल (खुला)	जीरा (खड़ा)	दर प्रति किलोग्राम अंकित होगा।
			जीरा (पाउडर)	
			हल्दी पाउडर	
			लाल मिर्च (खड़ा)	
			लाल मिर्च (पाउडर)	
			धनियाँ पाउडर	
			गोल मिर्च (खड़ा)	
			गोल मिर्च पाउडर	
11	आलू		लोकल	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
			बाहरी	
12	प्याज		लोकल	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
			नासिक	
13	लहसुन		लोकल	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
			नासिक	
14	साग–सब्जी		उत्तम किस्म	दर प्रति क्वींटल
15	मिनरल वाटर (20 ली0 जार)		उत्तम किस्म	दर प्रति बोतल/पेटी
16	सोयाबीन बरी		उत्तम किस्म	दर प्रति किलोग्राम
17	पावरोटी		400 ग्राम का शकुन	दर प्रति पैकेट अंकित होगा।
			200 ग्राम का शकुन	
			400 ग्राम अन्य ब्राण्ड	
			150 ग्राम अन्य ब्राण्ड	

18	बिस्कुट	ब्रिटा0 टाईगर (75ग्राम)	दर प्रति पैकेट अंकित होगा।
		ब्रिटा0 मिल्क बिकीस (250ग्राम)	
		आरारोट (400ग्राम)	
19	दूध पाउडर (6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए)	Amulya Spray 500gm.	दर प्रति 500gm का डब्बा का अंकित होगा।
		Lactogen 500gm.	
20	सिनेटरी किट (6 माह से 2 वर्ष के बच्चों के लिए)	Huggies	दर प्रति पैकेट अंकित होगा।
		Mamy poko pants	
		Pampers	
21	सिनेटरी किट (महिलाओं के लिए)	Stayfree	दर प्रति पैकेट अंकित होगा।
		Carefree	
		Whisper	
22	आयोडाईज्ड नमक	स्थानीय (खुला)	दर प्रति बोरा (01 कि0 ग्रा0 का 50 पैकेट) अंकित होगा।
		टाटा नमक	
23	चीनी	मोटा	दर प्रति क्वींटल में अंकित होगा।
24	माचिस मझोला साईज	AIM	दर प्रति कार्टून (600 पीस) अंकित होगा।
		BALL	
		HOME LITE	
25	मोमबत्ती	8.5'' X 2.5'' अच्छे किस्म का	दर प्रति कार्टून(एक कार्टून में 50 पैकेट एक पैकेट में 6 पीस) यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
26	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीट X चौड़ाई 1.5 फीट (अच्छे किस्म का)	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगा।
27	थैला (अन्य प्रकार का)	5 Kg. वजन के लिए	दर प्रति किलो ग्राम में अंकित होगा।
		2.5 Kg. वजन के लिए	
28	सिमेन्ट की खाली बोरियाँ	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
29	सुतली	अच्छे किस्म का	दर प्रति किलो अंकित होगा।
30	मच्छरदानी	सिंगल बेड अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
		डबल बेड अच्छे किस्म का	
31	धोती	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
		साधारण	
32	साड़ी	सूती 5.5 मी0 लम्बा	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
		सिन्थेटिक 5.5 मी0 लम्बा	
33	साया	सूती	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
34	ब्लाउज	सूती	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
35	टीशर्ट एवं नीकर (बच्चों के लिए)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।
36	स्कर्ट, फ्रॉक, चड्डी (बच्चियों के लिए)	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा।

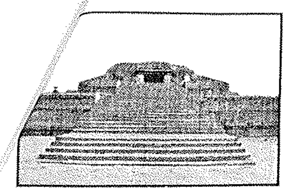

भागलपुर समाहरणालय
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

बिहार सरकार

37	गंजी	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
		साधारण	
38	लूंगी	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
		साधारण	
39	गमछा	अच्छे किस्म का	दर प्रति सैकड़ा अंकित होगा। यदि ब्राण्ड हो तो उसका नाम अंकित करें।
		साधारण	
40	किट (नारियल तेल–50 ग्राम, नहाने का साबुन–75 ग्राम, कपड़ा धोने का साबुन–100 ग्राम, कंधी–छोटा, ऐनक–छोटा, सर्फ–सैसे, शेम्पु–सैसे)	ब्राण्डेड (अच्छे किस्म का) रखने हेतु पैकेट/बैग सहित	दर प्रति किट
41	दरी	6' X 4' , 7'X 5'	प्रति 10 नग
42	चटाई	6' X 4'	प्रति 10 नग
43	थाली	स्टील	प्रति 10 नग
		थर्मोकोल	प्रति 100 नग
		सखुआ पत्तल	प्रति 100 नग
44	छिपली (छोटी थाली)	स्टील	प्रति 10 नग
45	लोटा	स्टील	प्रति 10 नग
46	कटोरा	स्टील	प्रति 10 नग
		थर्मोकोल	प्रति 100 नग
		सखुआ पत्तल	प्रति 100 नग
47	ग्लास	स्टील	प्रति 10 नग
		प्लास्टीक	प्रति 100 नग
48	लकड़ी (जलावन)	–	दर प्रति क्वींटल अंकित होगा

निविदा की शर्त्तें

1. इच्छुक आपूर्तिकर्त्ता/संवेदक के द्वारा द्वि लिफाफा पद्धति अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।
   तकनीकी निविदा शर्त्त
2. अग्रधन की राशि 25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा जो जिलाधिकारी, भागलपुर के पदनाम से भागलपुर में विकलनीय होगा।
3. तकनीकी शर्त्तों से संबंधित लिफाफा अलग होगा एवं वित्तीय शर्त्तों से संबंधित लिफाफा अलग होगा पुनः दोनों सीलबन्द लिफाफा एक बड़े लिफाफा के अन्दर रखकर सीलबंद करना होगा। लिफाफे के उपर फर्म का पूरा नाम पता एवं मोबाईल नं0 अंकित करना होगा।
4. निविदादाता को ट्रेड लाईसेंस/बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदा के साथ जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को विगत तीन वर्षो (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।

☎ 0641-2402200 (O)/2402300 (R)
Fax – 0641-2402400
E-mail ID: dm-bhagalpur.bih@nic.in

4/6

7. निविदादाता को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथपत्र देना होगा।
8. निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता/आपूर्त्तिकर्त्ता को अद्यतन त्रैमासिक/मासिक GST रिटर्न संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर 25,000.00 (पच्चीस लाख) रूपये से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओवर से संबंधित P L Account का सत्यापित प्रतिवेदन निबंधित चार्टड एकाउंटेन्ट से सत्यापित होना चाहिए।
11. सामग्री की आपूर्त्ति ब्रांडेड/अच्छी गुणवत्ता की आपूर्त्ति देने संबंधी शपथपत्र देना होगा।
12. खाद्य सामग्री की आपूर्त्ति हेतु आपूर्त्तिकर्त्ता को Food लाईसेन्स संलग्न करना होगा।

<u>वित्तीय निविदा शर्त्त</u>

13. वित्तीय निविदा के लिफाफे में सभी सामग्री का दर प्रति क्वींटल/किलोग्राम, प्रति पाकेट, प्रति पीस सभी कर सहित अंकित करनी होगी।
14. निविदा में आपूर्त्ति किये जाने वाले सामग्रियों का दर, ब्राण्डेड एवं अन्य अंकित करते हुए कोड करना होगा।
15. आपूर्त्तिकर्त्ता को खाद्य सामग्री से संबंधित मदों का नमूना निविदा का साथ लाना होगा।
16. वित्तीय निविदा लिफाफे पर निविदादाता का नाम पता अंकित होना चाहिए।
17. सभी वांछित कागजात स्व-हस्ताक्षरित होना चाहिए।

<u>अन्य शर्त्तें</u>

18. निविदादाताओं में से स्वीकृत निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्त्ति आदेश के तीन दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामानों की आपूर्त्ति निश्चित् रूप से कर देंगे एवं आवश्यकतानुसार इस जिला के सभी अंचल मुख्यालयों तक पहुँचा देंगे।
19. निविदा में अंकित मूल्य पर किसी भी स्थान पर (जिला के अन्दर) खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्री की आपूर्त्ति करना होगा। इसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
20. सामग्रियों की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर पर अलग-अलग आपूर्त्तिकर्त्ताओं से भी आपूर्त्ति प्राप्त किया जा सकता है।
21. निविदा खोलने के दिन सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लायेंगे ताकि उनकी गुणवत्ता की जाँच की जा सके। स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सभी सामग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।
22. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं किये जाने पर आपूर्त्तिकर्त्ता के विरूद्ध नियत संगत कार्रवाई करते हुए आपूर्त्ति की गई सामग्री के भुगतान में आवश्यक कटौती की जायेगी एवं जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। साथ ही आपूरित सामग्री आपूर्त्तिकर्त्ता को वापस ले जानी होगी, इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्त्ति भुगतान का दावा अमान्य होगा।
23. स्वीकृत आपूर्त्तिकर्त्ताओं के द्वारा ससमय आदेशित सामग्री की आपूर्त्ति नहीं किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदादाताओं या स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्त्ति ली जा सकती है।
24. सामग्रियों की आपूर्त्ति हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगा। आपूर्त्तिकर्त्ता को किसी प्रकार का परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
25. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

☎ 0641-2402200 (O)/2402300 (R)
Fax – 0641-2402400
E-mail ID: dm-bhagalpur.bih@nic.in

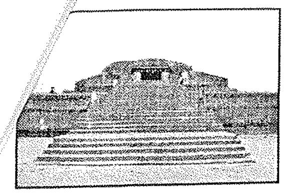

भागलपुर समाहरणालय
(जिला आपदा प्रबंधन शाखा)

बिहार सरकार

26. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। विशेष जानकारी के लिए भागलपुर जिला के बेवसाईट https://bhagalpur.nic.in देखा जा सकता है।
27. कोई भी निविदा या दावा भागलपुर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।
28. आपूत्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियमानुसार जी0एस0टी0/आयकर देय होगा, जिसकी कटौती एकमुश्त भुगतान के समय की जायेगी।
29. सामग्री के गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को अधिमानता दी जायेगी
30. जिस आपूर्त्तिकर्त्ता को उपरोक्त सभी शर्त्त स्वीकार हो वैसे आपूर्त्तिकर्त्ता निविदा में भाग ले सकते हैं।

जिलाधिकारी
भागलपुर

☎ 0641-2402200 (O)/2402300 (R)
Fax – 0641-2402400
E-mail ID: dm-bhagalpur.bih@nic.in